छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा पंचम सत्र अंक-08

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 06 मार्च, 2025
(फाल्गुन 15, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

मानननीय अध्यक्ष ने डॉ. देवचरण सिंह मधुकर, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री एवं डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.06 बजे स्थगित की जाकर 11.13 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

2. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने विधान सभा सचिवालय को निधन की सूचना विलंब से प्राप्त होने के परिप्रेक्ष्य में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

निधन की सूचना संबंधी निर्देश

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- जुलाई, 2024 सत्र में दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूर्व सदस्य श्री विजय सिंह के निधन के उल्लेख के समय सभा में सदस्यों द्वारा पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना विलंब से प्राप्त होने पर आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया गया था, जिस पर मेरे द्वारा शासन को निर्देश दिए गए कि **"सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि माननीय सांसदों/विधायकों के निधन की सूचना कलेक्टर तत्काल विधान सभा सचिवालय को सूचित करें, मगर यह देखा जा रहा है कि अत्यंत विलंब से जानकारी विधान सभा सचिवालय को भेजी जा रही है । यह आपत्तिजनक है, अनुचित है । शासन को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, आवश्यक निर्देश जारी करें।"**

यह स्पष्ट रूप से उस समय सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया था और आज श्री अजय चंद्राकर जी ने फिर से ध्यानाकर्षित किया है । निश्चित रूप से पूरी गंभीरता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे निर्देश के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2024 को सभी कलेक्टरों को तत्संबंध में निर्देश जारी किया गया। शासन के निर्देश के बावजूद भी अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य डॉ. देवचरण सिंह मधुकर का निधन दिनांक 12 फरवरी, 2025 को हुआ, जिसकी जानकारी विधान सभा सचिवालय को दिनांक 04 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई।

पूर्व निर्देश और राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के उपरांत कलेक्टर, बिलासपुर की ओर से पूर्व सदस्य डॉ. देवचरण सिंह मधुकर के निधन की सूचना तत्काल न भेजते हुए विलंब से भेजा जाना आपत्तिजनक है ।

मैं शासन को पुन: निर्देशित करता हूं कि संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये तथा की गई कार्यवाही से इसी सत्र में अवगत कराया जाये ।

4. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 42 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट,

(2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 422/एफ 11-02/2006/13/1, दिनांक 12 फरवरी, 2025,

(3) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20, तथा

(4) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 07-22/2023/32, दिनांक 24 दिसंबर, 2024,

पटल पर रखे।

6. पृच्छा

श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, उमेश पटेल एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रदेश में कुछ जनपद पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक रूप से चुनाव को निरस्त कर दिये जाने के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया एवं तत्संबंध में शासन की ओर से उत्तर दिये जाने की मांग की।

7. बहिर्गमन

(श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा प्रदेश की कुछ जनपद पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया को निरस्त किये जाने के संबंध में शासन की ओर से कोई उत्तर नहीं आने के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

8. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कुरूद ब्लाक के एक गांव में माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा के साथ तोड़-फोड़ के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया एवं दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की।

9. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य ने पंडरिया विधान सभा अंतर्गत स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में आर्थिक संकट होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने विकासखण्ड अकलतरा की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में जल स्त्रोतों एवं तालाबों को राखड़ से पाटने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ओ.पी. चौधरी आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्री बघेल लखेश्वर
(3) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
(4) श्री अटल श्रीवास्तव
(5) श्री रामकुमार यादव

11. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2025 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक - 10)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
2. (क्रमांक - 14)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
3. (क्रमांक - 11)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती भावना बोहरा

(2) श्री दलेश्वर साहू

(3) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा

(4) श्री कुंवर सिंह निषाद

(5) श्री ललित चन्द्राकर

13. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

14. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या-20, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या-22, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या-29, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या-69, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से

सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 76, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-81 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-20 पर डॉ. चरणदास महंत, श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री दिलीप लहरिया, इन्द्र साव, ब्यास कश्यप **मांग संख्या-22** पर डॉ. चरणदास महंत, श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश,श्री ब्यास कश्यप, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, **मांग संख्या-24** पर डॉ. चरणदास महंत, श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री दिलीप लहरिया, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, फूलसिंह राठिया, इन्द्र साव, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल **मांग संख्या-29** पर डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री लखेश्वर बघेल, दिलीप लहरिया, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, **मांग संख्या-67** पर श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, इंद्र साव, **मांग संख्या-69** पर श्री ब्यास कश्यप, **मांग संख्या-81** पर श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चंद्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री उमेश पटेल

(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, द्वारिकाधीश यादव, धरमलाल कौशिक

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दिलीप लहरिया, सुनील सोनी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री मोतीलाल साहू,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री ब्यास कश्यप,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सभा के समय में सायं 6.30 बजे तक वृद्धि की घोषणा की।)

श्री रिकेश सेन, श्रीमती शेषराज हरवंश, सुश्री लता उसेण्डी

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, सर्वश्री सुशांत शुक्ला, कुंवर सिंह निषाद, पुन्नूलाल मोहले ।

सायं 6.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2025 (फाल्गुन-16, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा